



# कार्यालय लेख

20-2-18

नगर निगम,  
अजमेर

विषय :- भगवानगंज योजना में निम्न  
प्रकार की नीलामी काका

भागी जाफ  
संख्या

उपरोक्त विषयान्वित लेख हेतु  
भगवानगंज योजना क्षेत्र में निम्न  
प्रकार की नीलामी सार्वजनिक  
कार्यवाही आगामी 12.2.18 को  
संलग्न नीलामी कार्यालय को  
अडसाद की जावेगी।

अतः संलग्न नीलामी  
कार्यवाही की 6 प्रतिभा संलग्न  
कार्य प्रेषित की जावेगी जो वही  
72 वर्ष का दो दैनिक समाचार  
पत्रों दैनिक भास्कर / राजस्थान  
पत्रिका / दैनिक नवशक्ति में  
से किन्हीं दो के आगामी  
अंक में प्रकाशन करवाते का  
कष्ट करें।

संलग्न :- अडसाद

20/2/18  
बनमोहन माथुर  
प्रभारी अधिकारी

कार्यालय अफ्रीका  
नगर निगम अजमेर

# कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : योजना / 758

दिनांक : 19.2.18

## नीलामी सूचना

नीलामी द्वारा आवासीय भूखण्ड खरीदने का सुनहरा अवसर

प्राईम लोकेशन

अमानत राशि

भगवानगंज योजना

समय : प्रातः 11 बजे से 3.00 बजे तक

333.33 वर्गगज - 44,000/-

200.00 वर्गगज - 26,500/-

नगर निगम की भगवानगंज योजना में आवासीय भूखण्डों की नीलामी द्वारा क्रय करने का सुनहरा

अवसर :-

क्र. स.	नीलामी दिनांक	नाम योजना	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का नाप	भूखण्ड का क्षेत्रफल	नीलामी का स्थल
1.	12.3.18	भगवानगंज आवासीय योजना आरक्षित दर 2,645/-	102	40'x75'	333.33 वर्गगज ( 268.00 वर्गमीटर )	मौका स्थल पर
			118	30'x60'	200.00 वर्गगज ( 167.00 वर्गमीटर )	
			173	30'x60'	200.00 वर्गगज ( 167.00 वर्गमीटर )	
			296	30'x60'	200.00 वर्गगज ( 167.00 वर्गमीटर )	
			337	30'x60'	200.00 वर्गगज ( 167.00 वर्गमीटर )	
			349	30'x60'	200.00 वर्गगज ( 167.00 वर्गमीटर )	

नोट :-

- नीलामी बोली आरक्षित दर से शुरू की जाएगी।
- बोली छूटने पर मौके पर ही 1/4 राशि जमा करानी होगी। शेष राशि नीलामी दिनांक से 30 दिवस के भीतर नीलामी शर्तों के अनुसार जमा करानी होगी। मौके पर 1/4 राशि जमा नहीं कराने पर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- अमानत राशि बोली प्रारम्भ होने से पूर्व बोलीदाता को जमा करानी होगी।
- पर्याप्त राशि नहीं आने की स्थिति में नीलामी समिति को नीलामी निरस्त करने का अधिकार होगा।
- उच्चतम बोली को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार नगर निगम के महापौर को होगा।
- भूखण्ड 99 वर्षीय लीज पर नीलाम किया जायेगा।
- भूखण्ड यथास्थिति अनुसार ही नीलामी किया जायेगा।
- आवासीय भूखण्ड का आवासीय उपयोग करना होगा।
- कार्नर भूखण्डों का आकार मौका अनुसार ही मान्य होगा। कॉर्नर भूखण्डों पर गोलाई भूखण्ड के क्षेत्र में से ही दी जायेगी।
- किसी भी भूखण्ड बाबत कोई आपत्ति/विवाद हो तो नीलामी दिनांक से पूर्व लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- बोली लगाने राशि जमा कराने की प्रक्रिया सम्बन्धी एवं अन्य शर्तों-नियमों हेतु नगर निगम योजना विभाग कार्यालय अथवा धोलाभाटा योजना के भूखण्ड हेतु भगवानगंज योजना के भूखण्डों हेतु कनिष्ठ अभियन्ता श्री राजेश मीणा 9001292506, कुमारी अतिका मिश्रा मोबाईल नम्बर 8619258486 से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी (योजना)  
नगर निगम, अजमेर

उपायुक्त  
नगर निगम, अजमेर

आयुक्त  
नगर निगम, अजमेर

महापौर  
नगर निगम, अजमेर